

**निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष-संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2022  
05 जनवरी, 2022 को अपराह्न 04:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु सामग्री।**

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-23/2021-ERS (Vol-II) दिनांक 03 अगस्त, 2021 द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर निम्न प्रकार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम नियत किया गया है:-

<b>Pre- Revision activities (पुनरीक्षण पूर्व कार्यक्लॉप)</b>		
1.	(i) Removal of all DSEs/multiple entries, logical errors etc, डीएससी, एकाधिक प्रविष्टियों एवं लॉजिकल इरर को हटाना (ii) H2H verification through BLOs बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन (iii) Proper formation of sections; and अनुभागों का उचित गठन, एवं (iv) Rationalization of Polling stations मतदेय स्थलों का मानकीकरण	09.08.2021 (Monday) to 31.10.2021 (Sunday)  <b>H2H Verification through BLOs 01<sup>st</sup> September to 15<sup>th</sup> September, 2021</b>
<b>Revision Activities (पुनरीक्षण कार्यक्लॉप)</b>		
2.	<b>Publication of Integrated Draft electoral roll</b> एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन	<b>On 01.11.2021 (Monday)</b>
3.	<b>Period for filing claims &amp; objections</b> दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि	<b>01.11.2021 (Monday To 30.11.2021 (Tuesday)</b>
4.	Special campaign dates विशेष अभियान की तिथियाँ	13.11.2021 (Saturday) 14.11.2021 (Sunday) 27.11.2021 (Saturday) 28.11.2021 (Sunday)
5.	Disposal of claims and objections दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	By 20.12.2021 (Monday)
6.	<b>Final publication of electoral roll</b> निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन	<b>By 05.01.2022 (Wednesday)</b>

2- बीएलओ के द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से 15 सितम्बर, 2021 तक घर-घर जाँच और सत्यापन का कार्य सम्पादित किया गया। घर-घर जाँच और सत्यापन के दौरान Removal of all DSEs / multiple entries, logical errors आदि को हटाए जाने/सही करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करना।

### **3—Rationalization of Polling Stations:-**

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पुनरीक्षण से पूर्व प्रारम्भिक तैयारियों के आलोक में मतदेय स्थलों के मानकीकरण (Rationalization) की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पुनर्निर्धारण एवं मानकीकरण के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया:—

- I. किसी भी मतदाता को अपने आवास से मतदेय स्थल तक पहुँचने के लिए 02 किमी० से अधिक पैदल दूरी तय न करनी पड़े।
- II. मतदेय स्थल तक पहुँचने के लिए किसी भी मतदाता को किसी जंगली एवं अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी मार्ग से न गुजरना पड़े।
- III. मतदेय स्थल तक पहुँचने के लिए किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक बाधाओं यथा नदी, नालों आदि को पार करने का जोखिम न उठाना पड़े।
- IV. 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों को विभाजित करना।
- V. मतदेय स्थल के लिए चिन्हित किसी भी भवन में मतदेय स्थल के लिए निर्धारित कक्ष केवल भू-तल में स्थापित हो।
- VI. मतदेय स्थल के चिन्हित भवन जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त न हो।
- VII. पुलिस स्टेशन, अस्पताल, मन्दिर और अन्य किसी भी धार्मिक स्थल पर मतदेय स्थल स्थापित नहीं किया जायेगा।
- VIII. वर्तमान मतदेय स्थल भवन की 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत किसी राजनैतिक दल का कार्यालय स्थापित नहीं होना चाहिए।
- IX. ग्रामीण क्षेत्र में एक भवन पर दो से अधिक एवं शहरी क्षेत्र में एक भवन पर चार से अधिक मतदेय स्थल स्थापित न हों।
- X. यथा सम्भव मतदेय स्थल का क्षेत्र कम से कम 20 वर्गमीटर हो।
- XI. स्थल कक्ष में प्रवेश एवं निकास के लिए यथा संभव अलग-अलग दरवाजे हों।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर निम्न प्रकार उत्तराखण्ड राज्य की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत मतदेय स्थलों के पुनर्निर्धारण/संशोधन की कार्यवाही की गई:-

जनपद का नाम	आलेख्य प्रकाशन से पूर्व मतदेय स्थलों की कुल संख्या	02 किमी. से अधिक पैदल दूरी के कारण नए बनाए गए कुल मतदेय स्थल	किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक होने के कारण उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत बनाए गए नए मतदेय स्थल	किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक होने के कारण कुछ ग्राम, वार्ड, मुहल्ले (अनुभाग) आदि को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य मतदेय स्थल में समाविष्ट/समायोजित करना।	एक ही भवन में एक से अधिक मतदेय स्थल स्थापित होने के कारण मतदाताओं की संख्या के आधार पर कतिपय मतदेय स्थलों को उसी भवन के अन्य मतदेय स्थल में समाविष्ट/समायोजित करना।	वर्तमान मतदेय स्थल भवन से संबंधित शिक्षण संस्थान के उच्चीकरण के फलस्वरूप मतदेय स्थल के नाम में परिवर्तन	वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने, अथवा जीर्ण-शीर्ण होने के कारण उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य उपयुक्त शासकीय भवन में, भवन परिवर्तन	अन्तिम रूप से एकीकरण के उपरान्त मतदेय स्थलों की संख्या (2+3+4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-उत्तरकाशी	536	0	3	0	0	6	0	539
02-चमोली	558	17	0	4	1	17	11	574
03-रूद्रप्रयाग	355	5	2	2	1	1	3	361
04-टिहरी गढ़वाल	927	24	5	4	5	5	24	951
05-देहरादून	1706	13	157	54	3	0	63	1873
06-हरिद्वार	1581	0	135	10	0	3	26	1716
07-पौड़ी गढ़वाल	899	18	27	13	0	14	15	944
08-पिथौरागढ़	586	13	0	10	0	0	8	599
09-बागेश्वर	370	1	5	1	0	1	7	376
10-अल्मोड़ा	876	34	2	8	1	0	10	911
11-चम्पावत	320	4	9	2	0	2	2	333
12-नैनीताल	930	6	69	40	0	2	34	1005
13-ऊधम सिंह नगर	1380	0	86	67	1	13	11	1465
<b>(कुल योग)</b>	<b>11024</b>	<b>135</b>	<b>500</b>	<b>215</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>214</b>	<b>11647</b>

3.1- मतदेय स्थलों के संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रस्तावों का समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार आलेख्य प्रकाशन करते हुए इसकी प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी उनके सुझाव/आपत्ति हेतु उपलब्ध कराई गई

थी। सर्व साधारण की जानकारी के लिए मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची सभी ERO/AERO कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करने के साथ-साथ DEO एवं CEO वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराई गयी। मतदेय स्थलों के आलेख्य प्रकाशन के सात दिन के पश्चात अंतिम प्रस्ताव आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया।

**3.2—** मतदेय स्थलों के संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रस्तावों पर आयोग से दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 को अनुमोदन प्राप्त हुआ और तदनुसार समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा इसका नियमानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-25 के अन्तर्गत अंतिम प्रकाशन किया गया। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ सर्व साधारण की जानकारी के लिए <https://ceo.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है। इस प्रकार राज्य में अब विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों की **कुल संख्या-11, 647 हो गई है।** अर्थात् विगत की अपेक्षा कुल-635 मतदेय स्थल बढ़े हैं और 12 मतदेय स्थल समायोजित किए गए।

**3.3—** प्रत्येक मतदेय स्थल पर आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार AMF (Assured Minimum Facilities) सुनिश्चित करना :-

- I. **रैम्प**
- II. **पेयजल की सुविधा**
- III. **पर्याप्त फर्नीचर की उपलब्धता**
- IV. **प्रकाश हेतु विद्युत व्यवस्था**
- V. **हेल्प डेस्क**
- VI. **उचित संकेतांक**
- VII. **शौचालय (महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग)**
- VIII. **शेड (वर्षा एवं धूप आदि से बचाव के लिए)**

**4-विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर आलेख्य प्रकाशन :-**

आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को सभी मतदेय स्थलों, ERO/AERO कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालय में आलेख्य प्रकाशन किया गया था, आलेख्य प्रकाशन पर जनपदवार निर्वाचकों का विवरण निम्न प्रकार है:-

जनपद का नाम	01 नवम्बर, 2021 को आलेख्य प्रकाशन के समय सामान्य निर्वाचकों का विवरण (अर्हता तिथि 01.01.2022)						आलेख्य प्रकाशन पर सर्विस मतदाताओं का विवरण		
	पुरुष	महिला	अन्य	योग	Elector Gender Ratio	Census Gender Ratio	पुरुष	महिला	योग
उत्तरकाशी	117157	110217	3	227377	941	958	3338	61	3399
चमोली	149748	143053	9	292810	955	1019	10240	158	10398
रूद्रप्रयाग	92934	95150	1	188085	1024	1114	5331	54	5385
टिहरी गढ़वाल	261113	246030	1	507144	942	1077	5722	69	5791
देहरादून	742798	665587	63	1408448	896	902	9445	468	9913
हरिद्वार	726297	634970	120	1361387	874	880	1940	116	2056
पौड़ी गढ़वाल	288232	275043	10	563285	954	1103	15908	255	16163
पिथौरागढ़	185455	185252	2	370709	999	1020	14146	399	14545
बागेश्वर	108336	104808	0	213144	967	1090	4491	110	4601
अल्मोड़ा	272409	258853	1	531263	950	1139	7005	213	7218
चम्पावत	103386	93987	0	197373	909	980	2947	111	3058
नैनीताल	394821	360447	11	755279	913	934	5212	266	5478
ऊधम सिंह नगर	644332	585335	30	1229697	908	920	5690	283	5973
योग-	4087018	3758732	251	7846001	920	953	91,415	2563	93,978

- आलेख्य निर्वाचक नामावली उल्लिखित सभी स्थानों पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ रखी गयी थी और विभागीय वेबसाईट <https://ceo.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है।
- पुनरीक्षण की अवधि में राज्य के विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत निम्न प्रकार निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रारूप-6 पर, किसी नाम को हटाने के लिए प्रारूप-7 पर, आलेख्य निर्वाचक नामावली में अंकित किसी त्रुटि को शुद्ध कराने के लिए प्रारूप-8 एवं एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पता बदलने पर प्रारूप-8क पर आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका संबंधित ERO के द्वारा नियमानुसार दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 तक निस्तारण करते हुए Eroll Update किया गया :-

जनपद का नाम	पुनरीक्षण की अवधि में प्राप्त दावे/आपत्तियों के सापेक्ष Eroll Update का विवरण					18-19 आयुवर्ग के युवाओं की संख्या			
	प्रारूप-6	प्रारूप-6क	प्रारूप-7	प्रारूप-8	प्रारूप-8क	पुरुष	महिला	Third Gender	योग
उत्तरकाशी	12,065	0	4015	1610	21	2663	2307	0	4970
चमोली	8313	0	2408	1940	0	2343	2042	1	4386
रुद्रप्रयाग	7383	0	2743	1664	130	1944	1499	1	3444
टिहरी गढ़वाल	26471	0	3750	3330	391	5391	4766	1	10158
देहरादून	84989	0	11583	8598	307	10318	9063	5	19386
हरिद्वार	63208	0	7569	6498	204	9063	7293	8	16364
पौड़ी गढ़वाल	21237	0	7405	3124	89	4323	3292	0	7615
पिथौरागढ़	12637	0	1665	1916	79	3017	2299	0	5316
बागेश्वर	5219	0	1598	1340	51	1398	1383	1	2782
अल्मोड़ा	12585	0	5022	2760	326	3045	2491	0	5536
चम्पावत	7756	0	1978	1800	142	2011	1691	0	3702
नैनीताल	26113	0	8480	5061	91	4168	3468	0	7636
ऊधम सिंह नगर	72810	0	4568	6670	539	10870	9288	5	20163
<b>योग-</b>	<b>3,60,686</b>	<b>0</b>	<b>62,764</b>	<b>85,552</b>	4201	<b>60554</b>	<b>50882</b>	<b>22</b>	<b>1,11,458</b>

- अधिक से अधिक युवाओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए इस बार परिवार रजिस्टर के आधार पर ऐसे अर्ह युवाओं के फार्म-6 भरवाए गए जिनका जन्म 02 जनवरी, 2003 से 01 जनवरी, 2004 को हुआ है।
- इसी प्रकार निर्वाचक नामावली में महिला लिंगानुपात को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे महिला चौपाल आदि का आयोजन किया गया और गत पुनरीक्षण की अपेक्षा इस साल अधिक से अधिक अर्ह महिलाओं के नाम निर्वाचक

नामावली में पंजीकृत करवाने का कार्य किया गया। कुल-3,60,686 परिवर्धन के सापेक्ष 1,92,016 महिलाओं का पंजीकरण किया गया। जनपदवार परिवर्धन एवं अपमार्जन का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

जनपद का नाम	पुनरीक्षण की अवधि में परिवर्धन (फार्म-6)				पुनरीक्षण की अवधि में कुल अपमार्जन (फार्म-7)			
	पुरुष	महिला	अन्य	योग	पुरुष	महिला	TG	योग
उत्तरकाशी	5422	6641	2	12065	1655	2358	2	4015
चमोली	3938	4375	0	8313	1135	1267	6	2408
रुद्रप्रयाग	3591	3790	2	7383	1181	1561	1	2743
टिहरी गढ़वाल	12179	14287	5	26471	1669	2080	1	3750
देहरादून	39795	45174	20	84989	6458	5103	2	11563
हरिद्वार	28368	34821	19	63208	3434	4131	4	7569
पौड़ी गढ़वाल	11187	10049	1	21237	4413	2990	2	7405
पिथौरागढ़	6290	6247	0	12537	901	763	1	1665
बागेश्वर	2378	2840	1	5219	784	814	0	1598
अल्मोड़ा	6071	6514	0	12585	2417	2605	0	5022
चम्पावत	3742	4014	0	7756	1038	940	0	1978
नैनीताल	12333	13778	2	26113	4030	4448	2	8480
ऊधम सिंह नगर	33303	39486	21	72810	2212	2353	3	4568
योग-	<b>168597</b>	<b>192016</b>	<b>73</b>	<b>360686</b>	<b>31327</b>	<b>31413</b>	<b>24</b>	<b>62764</b>

- आज दिनांक 05 जनवरी, 2022 को अंतिम प्रकाशन पर जनपदवार निर्वाचकों का विवरण निम्न प्रकार है:—

जनपद का नाम	सामान्य मतदाता						सर्विस मतदाता		
	पुरुष	महिला	अन्य	योग	Elector Gender Ratio	Census Gender Ratio	पुरुष	महिला	योग
उत्तरकाशी	120924	114500	03	235427	947	958	3328	60	3388
चमोली	152551	146161	03	298715	958	1019	10339	157	10396
रूद्रप्रयाग	95344	97378	02	192724	1021	1114	5334	54	5388
टिहरी गढ़वाल	271623	258237	05	529865	951	1077	5713	71	5783
देहरादून	776135	705658	81	1481874	909	902	9349	456	9805
हरिद्वार	751231	665660	135	1417026	886	880	2049	130	2179
पौड़ी गढ़वाल	295006	282102	09	577117	956	1103	15913	257	16170
पिथौरागढ़	190844	190736	01	381581	999	1020	14191	400	14591
बागेश्वर	109930	106834	01	216765	972	1090	4497	110	4607
अल्मोड़ा	276063	262762	01	538826	952	1139	7015	213	7228
चम्पावत	106090	97061	0	203151	915	980	2919	109	3028
नैनीताल	403124	369777	11	772912	917	934	5157	266	5423
ऊधम सिंह नगर	675423	622468	48	1299939	922	920	5258	236	5494
योग—	<b>4224288</b>	<b>3919334</b>	<b>300</b>	<b>8143922</b>	<b>928</b>	<b>953</b>	<b>91396</b>	<b>2568</b>	<b>93964</b>

- उक्तानुसार दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक प्राप्त दावे/आपत्तियों के सापेक्ष उनके नियमानुसार निस्तारण के फलस्वरूप 05 जनवरी, 2022 को अंतिम प्रकाशन की स्थिति में 2,97,922 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। प्रतिहजार पुरुषों के सापेक्ष महिला लिंगानुपात में 01 नवम्बर, 2021 के पश्चात भी—08 की वृद्धि हुई है।
- ✓ पुनरीक्षण कार्य के सुव्यस्थित संचालन एवं सम्पादन के लिए आयोग द्वारा दोनों मण्डलों के मण्डलायुक्तों को निर्वाचक नामावली प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कम से कम तीन बार निम्नानुसार अपने मण्डल के सभी जनपदों का भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण कर आयोग को समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे :-
  1. प्रथम भ्रमण दावे/आपत्तियों को प्राप्त करने के समय अर्थात् दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 के मध्य।
  2. द्वितीय भ्रमण प्राप्त दावे/आपत्तियों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा निस्तारण के समय अर्थात् दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से 20 दिसम्बर, 2021 के मध्य।
  3. तृतीय भ्रमण बी.एल.ओ. के द्वारा निर्वाचक नामावली के सत्यापन, अनुपूरक सूचियों के मुद्रण तथा अन्तिम प्रकाशन के समय अर्थात् दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 से 05 जनवरी, 2022 के मध्य।

7- **Age Cohortwise Draft Electors Details:-**

Name of District			Age Cohort	Electors as per currently proposed FINAL Electoral roll w.r.t. 1.1.2022 as qualifying date			%age of (4) to 'X' i.e. total population as per voter roll		
				M	F	T	M	F	T
			1	4			5		
<b>Uttarakhand</b>			<b>18-19</b>	88394	69614	<b>158008</b>	1.50	1.24	<b>1.37</b>
<b>X</b>	<b>T</b>	<b>11544273</b>	<b>20-29</b>	934471	804808	<b>1739279</b>	15.81	14.28	<b>15.07</b>
	<b>M</b>	<b>5909991</b>	<b>30-39</b>	1183858	1039212	<b>2223070</b>	20.03	18.44	<b>19.26</b>
	<b>F</b>	<b>5634282</b>	<b>40-49</b>	829030	777606	<b>1606636</b>	14.03	13.80	<b>13.92</b>
			<b>50-59</b>	570457	557943	<b>1128400</b>	9.65	9.90	<b>9.77</b>
<b>Y</b>	<b>T</b>	<b>8138147</b>	<b>60-69</b>	360655	368767	<b>729422</b>	6.10	6.55	<b>6.32</b>
	<b>M</b>	<b>4119795</b>	<b>70-79</b>	188995	211370	<b>400365</b>	3.20	3.75	<b>3.47</b>
	<b>F</b>	<b>4018352</b>	<b>80+</b>	68428	90314	<b>158742</b>	1.16	1.60	<b>1.38</b>
<b>State Total</b>				<b>4224288</b>	<b>3919634</b>	<b>8143922</b>	<b>71.48</b>	<b>69.57</b>	<b>70.55</b>

- निर्वाचक नामावली से दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 से 22 दिसम्बर, 2021 तक (आलेख्य प्रकाशन की अवधि में) विभिन्न कारणों से निर्वाचक नामावली से हटाए गए नामों की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ साझा करते हुए विभागीय वेबसाईट में भी सर्व साधारण के अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं मतदेय स्थलवार अन्तिम निर्वाचक नामावली विभागीय वेबसाईट <https://ceo.uk.gov.in> पर सर्वसाधारण की जानकारी/अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
- किसी भी नागरिक के पास केवल मतदाता फोटोपहचान-पत्र उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में भी पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- कृपया सभी नागरिकों से यह भी अनुरोध है कि, उक्त **Deletion List** को भी चैक कर यह पुष्टि कर लें कि कहीं उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम विलोपित तो नहीं हुआ है। यदि त्रुटिवश ऐसा हुआ है तो वह नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म-6 भरने का कष्ट करें।

आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में सभी 11,647 मतदेय स्थलों पर बी.एल.ओ. नियुक्त है, सम्बन्धित बी.एल.ओ. के साथ समन्वय स्थापित किये जाने हेतु मतदेय स्थलों पर राजनैतिक दलों द्वारा बी.एल.ए. नियुक्त किये जाने अपेक्षित है।

8— भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2019 और आयोग के दिनांक 16 जुलाई, 2020 के निर्णय के साथ पठित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2020 के अनुसरण में अनुपस्थित मतदाताओं (Absentee Voters) की निम्नलिखित श्रेणियों को डाक मतपत्र (Postal Ballot ) के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (i)– वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु के),
- (ii)–निर्वाचक नामावली में फ्लैग्ड (Flagged) किए गए दिव्यांगजन, और
- (iii)–कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्ति।

8.1— उत्तराखण्ड राज्य में आलेख्य निर्वाचक नामावली के अनुसार 80+ आयु के तथा PwD पंजीकृत निर्वाचकों का विवरण निम्न प्रकार है:—

जनपद का नाम	वरिष्ठ निर्वाचक (80+)				PwD Electors			
	पुरुष	महिला	अन्य	योग	पुरुष	महिला	अन्य	योग
उत्तरकाशी	1792	2411	0	4203	2005	1239	0	3244
चमोली	2183	3477	0	5660	2063	1031	0	3094
रुद्रप्रयाग	1442	2650	0	4092	1404	727	0	2131
टिहरी गढ़वाल	4568	8165	0	12733	3938	2902	0	6848
देहरादून	15178	13836	1	29015	5263	3097	0	8360
हरिद्वार	10479	11166	1	21646	6094	3250	1	9345
पौड़ी गढ़वाल	6736	11733	0	18469	3204	1524	0	4728
पिथौरागढ़	3551	5572	0	9123	2196	1090	0	3286
बागेश्वर	1987	3144	0	5131	1788	937	0	2725
अल्मोड़ा	4607	9305	0	13912	3661	1897	0	5558
चम्पावत	1332	2111	0	3443	1581	828	0	2409
नैनीताल	5304	5710	0	11014	3321	1970	0	5291
ऊधम सिंह नगर	9269	11032	0	20301	7154	4313	0	11467
योग—	<b>68428</b>	<b>90312</b>	<b>2</b>	<b>158742</b>	<b>43672</b>	<b>24805</b>	<b>1</b>	<b>68478</b>

**8.2—** डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक उक्त श्रेणी के किसी भी मतदाता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध कराते हुए, प्रपत्र 12-घ (12D) में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। डाक मतपत्र पत्र की सुविधा की अपेक्षा किए जाने पर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र संबंधित निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान अधिसूचना की तारीख के पाँच दिनों के भीतर आर.ओ. तक पहुँच जाना चाहिए।

**8.3—** यदि निर्वाचन के समय कोई भी निर्वाचक कोविड-19 संक्रमण के कारण राज्य के किसी अस्पताल में भर्ती है, अथवा होम/संस्थागत क्वारंटीन में है और जिसके कारण चिकित्सकीय सलाह के अनुसार मतदेय स्थल में व्यक्तिगत रूप से मत डालने की स्थिति में नहीं है, और यदि ऐसा निर्वाचक डाक मतपत्र जारी करने के लिए अनुरोध करता है, तो आवेदन की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाने पर संबंधित आर.ओ. ऐसे निर्वाचक को डाक मतपत्र जारी करेगा। आवेदन प्रारूप-12घ के साथ सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं निर्देश की प्रति संलग्न होनी चाहिए जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि, आवेदक कोविड-19 संक्रमण के कारण राज्य में अस्पताल में भर्ती है, या राज्य के अन्दर होम/संस्थागत क्वारंटीन में है।

**8.4—रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यवाही :-**

**(3.1)—बी.एल.ओ. द्वारा प्रारूप-12घ का वितरण:-**

**(a)—**बी.एल.ओ. मतदेय स्थल क्षेत्र में आर.ओ. द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार (AVSC), (AVPD) और (AVCO) श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं के घर-घर जायेंगे और संबंधित निर्वाचक को प्रारूप-12घ उपलब्ध कराते हुए उनसे इसकी पावती प्राप्त करेंगे।

**(b)—**बी.एल.ओ. अपने मतदेय स्थल के ऐसे निर्वाचकों से प्राप्त सभी पावतियों को आर.ओ. के पास जमा करेंगे।

**(c)—**यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ बी.एल.ओ. अपना सम्पर्क विवरण उपलब्ध कराते हुए अधिसूचना से पाँच दिनों के भीतर पुनः जाकर पावतियां एकत्र करेगा।

**(d)—**निर्वाचक डाक मतपत्र के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं, अथवा नहीं भी दे सकते हैं। यदि कोई निर्वाचक डाक मतपत्र के लिए अपना विकल्प देता है तो बी.एल.ओ. अधिसूचना से पाँच दिन के भीतर संबंधित निर्वाचक के घर से प्रारूप-12घ में भरा गया आवेदन पत्र एकत्रित करेगा और उसे/उन्हें आर.ओ. के पास जमा करेगा।

**(e)—** सेक्टर ऑफिसर द्वारा आर.ओ. के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन बी.एल.ओ. द्वारा प्रारूप-12घ के वितरण और संग्रहण की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

**8.5—** प्रारूप-12घ में आवेदन प्राप्त होने पर आर.ओ. उक्त तीन श्रेणियों यथा AVSC, AVPD और AVCO के उन सभी मतदाताओं की, जिनके आवेदन पत्र समय पर प्राप्त हो गए हैं और वह पूरी तरह से ठीक है उनकी एक सूची तैयार करेगा।

**8.6—** आर.ओ. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ऐसे निर्वाचकों के नाम के सम्मुख यह दर्शाए जाने के लिए पी.बी. (PB) अंकित करेगा कि, उन्हें डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है, परन्तु उसमें वह उन्हें जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अंकित नहीं करेगा।

8.7— आर.ओ. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि, ऐसे निर्वाचक जिन्हें डाक मतपत्र जारी कर दिए गए हैं, वह मतदेय स्थल पर मतदान करने हेतु अनुमन्य नहीं होंगे।

8.8— उक्त के अतिरिक्त आर.ओ. उन सभी दिव्यांगजनों और 80+ आयु के निर्वाचकों की सूची हार्ड कॉपी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध करायेंगे, जिनके आवेदन डाक मतपत्र की सुविधा के लिए प्रारूप-12घ में उनके द्वारा अनुमोदित किए गए हों।